कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/सीबी)/09 दिनांकः अक्टूबर 10, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक
वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल
निबिया, लठिया, वाराणसी

—

विषयः– विद्यालय भवन **वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल निबिया, लठिया, वाराणसी** में अशिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा पत्र के नवीनीकरण के संबंध में।

—

संदर्भः– आपका पत्रांकः शून्य, दिनांकः 06.10.2018

—

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन **वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल निबिया, लठिया, वाराणसी** में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, भेलूपुर, द्वारा किया गया जिनकी उपलब्ध आख्या दिनांक 08.10.2018 का परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः– भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/09 दिनांकः24.02.2018 के द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुरक्षा पत्र निर्गत किया गया है जिसमें निम्न विवरण उल्लेखित हैः–

2–उक्त भवन भूतल व प्रथम तल द्वितीय तल तक का निर्मित है।

3–पहुँच मार्गः–उक्त स्थल तक अग्निशमन के वाहन पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

4–प्रवेश द्वार की चौड़ाई–उक्त भवन में गेट की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर है।

5–निकास मार्गः–उक्त भवन में एक स्टेयर केस निर्मित है।

6. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 06 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है।

7. पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में उपलब्ध है।

B.माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रुप से निर्देशित है किः–

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगे। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

C.उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 1528/9–6–2008 दिनांकः 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्याः एफ0एस0 – 1076/2012 दिनांकः 5, अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।

C.F.O VNS.

Scanned by TapScanner

5. उपरोक्त शर्तों का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबंधक/प्रधानाचार्य की होगी।
6. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार विद्यालय भवन **वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल निबिया, लठिया, वाराणसी** भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का इस कार्यालय के पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/09 दिनांकः 24.02.2018 के द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन सुरक्षा पत्र निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने व अन्य व्यवस्थायें एन0बी0सी0 मानक के अनुसार पूर्ण करने एवं प्रत्येक पाँच वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन व्यवस्थाओं के अग्निशमन सुरक्षा पत्र का नवीनीकरण पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से पाँच वर्ष तक के लिए वैध होगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन व्यवस्थाओं के अग्निशमन सुरक्षा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

C.F.O
VNS.

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी

प्रतिलिपि– अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक 08.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by TapScanner